Railway

राजस्थान–सरकार

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)झालावाड

क्रमांकःभू–अ0/रेल्वे/15/283 दिनांकः– 20/11/2015

श्रीमान उपनिदेशक महो;
डी0ओ0आई0टी0 झालावाड

विषयः– रामगंजमण्डी भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु ग्राम गिन्दोर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड की 6.82 हैक्टर निजि भूमि अवाप्त किये जाने की अधिसूचना कमांक प.6(15)परि/रे.प्र./मु./2014/6722–25 दिनांक 24.04.2015 का सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि रामगंजमण्डी भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम गिन्दोर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड की 6.82 हैक्टर निजि खातेदारी भूमि अवाप्त किये जाने की अधिसूचना कमांक प.6(15)परि/रे.प्र./मु./2014/6722–25 दिनांक 24.04.2015 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय परिवहन विभाग जयपुर राजस्थान से प्राप्त हुई हैं। जिसमें संयुक्त शासन सचिव महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया है ।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(ग) के अनुसार अधिसूचना का सरकार की वेगसाइट पर अपलोड किया जाना हैं । पत्र के संलग्न अधिसूचना दिनांक 24.04.2015 की प्रति भिजवाई जा रही हैं । अधिसूचना को वेबसाइट पर अपलोड किया जाकर सूचना से अवगत करावें ।

संलग्न उपरोक्तानुसार अधिसूचना !

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी) झालावाड

R-74

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.6(15)परि/रे.प्र./मु./2014 /6722 जयपुर, दिनांक 25-5-15

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार को यह प्रतीत कराया गया है कि केन्द्रीय सरकार, रेलवे प्रशासन द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रामगंज मंडी–भोपाल बड़ी नई रेल परियोजना के कार्यों हेतु झालरापाटन तहसील के ग्राम गिन्दौर, जिला झालावाड़ की नीचे सूची में वर्णित भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंधो के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उप खण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) जिला झालावाड़ को नीचे सूची में वर्णित भूमि में अपने कर्मचारियों और श्रमिकों सहित यदि कोई हो, निम्न कार्य करने हेतु अधिकृत करती है:–

1. ऐसे प्रयोजन के लिए उपयुक्त ऐसी भूमि का सर्वेक्षण तथा तल मापन करने,
2. उसकी अधोभूमि खोदने तथा उसमें छेद करने,
3. ऐसी भूमि की सीमा बनाने तथा उसमें या उस पर किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य यदि कोई हो, की रूपरेखा बनाने,
4. जहां अन्यथा सर्वेक्षण कार्य पूरा न हो सकता हो या तल मापन पूरा न हो सकता हो या सीमा अथवा रूपरेखा सर्वेक्षण न बनाई जा सके, तो किसी खड़ी फसल, बाड़े अथवा जंगल को काटने अथवा हटाने,
5. तल मापन अथवा सीमाओं अथवा किये जाने वाले कार्य की रूपरेखाओं के निशान लगाने तथा खाईयाँ खोदने,
6. वे अन्य समस्त कार्य करने की जो यह ज्ञात करने लिये आवश्यक हो कि क्या भूमि ऐसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उपयुक्त है, तथा